न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

प्रार्थी	ब नाम	अप्रार्थीगण
बिरदी पत्नी दुदाराम जाति मेघवाल निवासी परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन		चेनाराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन वगैराह

राजस्व प्रार्थना–पत्र = प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर = 110 /2025 GCMS No.2025/224

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30.05.2025	प्रार्थी वकील द्वारा यह राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। बाद जांच संतुष्ट होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वकील ने प्रकरण को अत्यावश्यक बताते हुए एक पक्षीय बहस सुनाने का निवेदन किया। एक–पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, शपथ–पत्र एवं बहस के अधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रार्थी के पक्ष में होने एवं सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति से बचाने के लिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 09/07/2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि **ग्राम परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 898/508 रकबा 1.0600 हैक्टयर** में अप्रार्थी सं. 01 ता 03 बेचान, हस्तानान्तरण, रहन, बख्शीश इत्यादि नही करें। अप्रार्थी सं. 05 पंजियन स्वीकार नही करे। उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 04 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार के राजकीय रास्ते एवं प्रचलित रास्ते पर लागू नही होगी। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलवी हेतु आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना आवश्यक रूप से करें अन्यथा विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 09/07/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)	
9/6/2025	वकील प्रार्थी व प्रार्थिया बिरदी ने [illegible] प्रार्थना पत्र जरिए [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र मय पत्रावली आज तारीख पेशी से पूर्व तलब की गयी। प्रार्थना पत्र	[illegible] बिरदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:39:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना -कुचामन)

बिरदी बनाम चेनाराम

प्रा०पत्र सं. 110/2025 प्रार्थना पत्र 212 RTA 1955 —

का अवलोकन किया गया। कारण उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र जरिए विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:39:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner